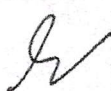


जन-सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स मंगलम माईन्स एण्ड माईनिंग, रेफरेन्स नम्बर 202410000108235, एम.एल. नम्बर 19/2024, क्षेत्रफल 5.9868 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,99,000 टी.पी.ए. (रोम), खसरा नम्बर 36, निकट ग्राम-गंगापुरा तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर, {कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 92.3689 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-78,20,694.5 टी.पी.ए.(रोम)} में स्थित है में बॉल क्ले, सिलिका सैंड एवं मुर्रम के खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार नायक, उपखण्ड अधिकारी, कोलायत, बीकानेर की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर के प्रतिनिधि श्री गिरीश व्यास, सहायक पर्यावरण अभियन्ता की उपस्थिति में ग्राम पंचायत भवन गंगापुरा, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर में दिनांक 28.08.2025 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गई। उक्त क्लस्टर क्षेत्र में आने वाली खनन इकाईयों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	खनन इकाई का नाम	एम.एल. नम्बर/ रेफरेन्स नम्बर	खनन इकाई का क्षेत्रफल	खनन इकाई की उत्पादन क्षमता
1	मैसर्स मंगलम माईन्स एण्ड माईनिंग	रेफरेन्स नम्बर 202410000108235, एम.एल. नम्बर 19/2024	5.9868 हैक्टेयर	2,99,000 टी.पी.ए. (रोम)
2	मैसर्स अम्बे माईन्स एण्ड मिनरल्स	एम.एल. नम्बर 20/2023	4.9878 हैक्टेयर	4,25,950 टी.पी.ए. (रोम)
3	मैसर्स श्री दीपक कुमार सुथार	एम.एल. नम्बर 42/2022	9.5942 हैक्टेयर	3,45,250 टी.पी.ए. (रोम)
4	मैसर्स बॉलकेम कॉर्पोरेशन,	एम.एल. नम्बर 25/2021	3.9905 हैक्टेयर	3,45,900 टी.पी.ए. (रोम)
5	मैसर्स श्री कस्तुरा राम	एम.एल. नम्बर 39/2018	3.1891 हैक्टेयर	1,84,971 टी.पी.ए. (रोम)
6	मैसर्स श्री कृष्णा माईन्स एण्ड मिनरल्स	एम.एल. नम्बर 02/2024	3.9789 हैक्टेयर	5,77,475 टी.पी.ए. (रोम)
7	मैसर्स बॉलकेम माईनिंग कम्पनी	एम.एल. नम्बर 24/2021	3.7483 हैक्टेयर	3,60,360 टी.पी.ए. (रोम)
8	मैसर्स अर्थ माईन्स एण्ड मिनरल्स प्रा. लि.	एम.एल. नम्बर 21/2022	3.9896 हैक्टेयर	3,61,400 टी.पी.ए. (रोम)
9	मैसर्स बॉलकेम माईनिंग कम्पनी	एम.एल. नम्बर 04/2023	7.1009 हैक्टेयर	5,87,600 टी.पी.ए. (रोम)
10	मैसर्स वासुदेव माईन्स एण्ड मिनरल्स	एम.एल. नम्बर 17/2023	3.1497 हैक्टेयर	3,90,230 टी.पी.ए. (रोम)
11	मैसर्स शिवरतन मेघवाल	एम.एल. नम्बर 27/2020	3.8009 हैक्टेयर	2,56,300 टी.पी.ए. (रोम)
12	मैसर्स एसएस माईन्स एण्ड मिनरल्स	एम.एल. नम्बर 27/2024	4.9805 हैक्टेयर	4,17,794.5 टी.पी.ए. (रोम)
13	मैसर्स वासुदेव माईन्स एण्ड मिनरल्स	एम.एल. नम्बर 18/2023	9.9765 हैक्टेयर,	8,21,300 टी.पी.ए. (रोम)
14	मैसर्स श्री हेतराम जाट	एम.एल. नम्बर 77/2019	3.9889 हैक्टेयर	3,74,400 टी.पी.ए. (रोम)
15	मैसर्स श्री धर्मेन्द्र कुमार	एम.एल. नम्बर 37/2020	3.9798 हैक्टेयर	4,45,620 टी.पी.ए. (रोम)
16	मैसर्स श्रीमति अलका डागा	एम.एल. नम्बर 33/2020	3.9788 हैक्टेयर	4,32,724 टी.पी.ए. (रोम)
17	मैसर्स श्री रमेशमाई नारामाई	एम.एल. नम्बर 31/2020	3.9807 हैक्टेयर	4,45,620 टी.पी.ए. (रोम)
18	मैसर्स श्रीमति कान्ता देव	एम.एल. नम्बर 23/2020	3.9785 हैक्टेयर	3,74,400 टी.पी.ए. (रोम)
19	मैसर्स श्री बजरंग लाल सहारण	एम.एल. नम्बर 80/2019	3.9885 हैक्टेयर	3,74,400 टी.पी.ए. (रोम)


 उपखण्ड अधिकारी
 कोलायत

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 25/07/2025 को समाचार पत्र 'दैनिक भास्कर' एवं 'कामयाब' में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। श्री गिरीश व्यास, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर का क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित होने हेतु स्वीकृति पत्र परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर के प्रतिनिधि ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचनाओं में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित की जा रही है जिसमें जिला कलक्टर महोदय की तरफ से उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते हैं। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई की विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेंगे। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी, कोलायत की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु मैसर्स मंगलम माईन्स एण्ड माईनिंग के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार "मैसर्स एस बी ए एनवायरो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड" को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार "मैसर्स एस बी ए एनवायरो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड" के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना खसरा नम्बर 36, निकट ग्राम गंगापुरा, तहसील-कोलायत जिला-बीकानेर में खनिज- बॉल क्ले, सिलिका सैंड, एवं मुर्रम के खनन हेतु प्रस्तावित है जिसका रेफरेन्स नम्बर 202410000108235, एम.एल. नम्बर 19/2024, क्षेत्रफल 5.9868 हैक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता 2,99,000 टी.पी.ए. (रोम) {कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 92.3689 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-78,20,694.5 टी.पी.ए.(रोम)} होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय के प्रतिनिधि द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

सर्वप्रथम श्री जयपाल जांगू निवासी गंगापुरा द्वारा आक्षेप लगाते हुए कहा गया कि क्लस्टर में शामिल एक अन्य खनन इकाई मैसर्स अलका डागा की जनसुनवाई भी कुछ समय पूर्व आयोजित की गई थी जिसमें खनन इकाई द्वारा वृक्षारोपण करने का आश्वासन दिया गया परन्तु वर्तमान में खनन इकाई द्वारा वृक्षारोपण नहीं किया गया है। जिसके प्रत्युत्तर में क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उक्त खनन परियोजना प्रस्तावित है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति जारी होने के पश्चात बताये गये प्रावधानों की अनुपालना की जायेगी। तथापि आप द्वारा किये गये आक्षेप के आधार पर सम्बन्धित खनन इकाई का निरीक्षण किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

तत्पश्चात श्री रेवन्तराम, सरपंच प्रतिनिधि द्वारा आक्षेप किया गया कि खनन इकाईयों के ट्रकों एवं मालवाहक गाडियों की आवाजाही से गाँव की मुख्य सड़कें खराब हो जाती हैं एवं दिन भर धूल उड़ती है परन्तु खनन मालिकों द्वारा सड़कों की मरम्मत सम्बन्धी कोई कार्य नहीं किये जाते हैं। साथ ही श्री रेवन्तराम द्वारा यह भी कहा गया कि खनन कार्य में गाँव के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाये एवं गाँववासियों के संसाधनों का ही उपयोग किया जाना चाहिये। जिसके प्रत्युत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना हेतु तैयार किये गये प्रस्तुतीकरण में सड़क बनाने का प्रावधान रखा गया है।

श्री रेवन्तराम द्वारा पुनः आक्षेप करते हुए कहा गया कि खनन इकाईयों द्वारा केवल कागजी कार्यवाही कर इतिश्री कर दी जाती है एवं धरातल पर कोई कार्य नहीं किया जाता है। अतः खनन इकाईयों को मानवता के आधार पर गाँव के विकास में सहयोग करना चाहिये जिससे औद्योगिकरण के साथ-साथ गाँव का भी समुचित विकास किया जा सके। जिसके प्रत्युत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत करवाया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात छः माही अनुपालना रिपोर्ट सम्बन्धित विभागों को प्रेषित की जायेगी जिनमें सभी प्रावधानों की पालना करना सुनिश्चित किया जायेगा।

श्री जयपाल जांगू द्वारा पुनः आपत्ति करते हुए कहा गया कि खनन इकाईयों द्वारा ऑवर बर्डन पास के खेत में डाल दिया जाता है जिससे कृषि भूमि खराब हो रही है। जिसके प्रत्युत्तर में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा आमजन को अवगत करवाया गया कि व्हाट्स ऐप पर सरपंच, सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक शिकायत निपटान पोर्टल बनाया जायेगा जिससे ग्रामवासियों को खनन इकाईयों से हो रही समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जा सके।

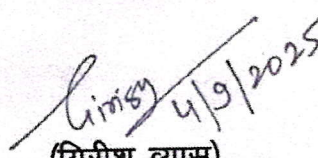
तत्पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित लोगों से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया।



उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

तदोपरान्त उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि पर्यावरणीय जनसुनवाई आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य खनन कार्य से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी आमजन को देना है जिससे आपसी सहयोग से पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों का समाधान किया जा सके। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों को अवगत करवाया गया कि औद्योगिक विकास हेतु सरकार द्वारा खनन गतिविधियों को स्वीकृति देना आवश्यक है साथ ही खनन कार्य से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के समाधान हेतु सरकार द्वारा नीति निर्धारण भी किया गया है जिसकी पालना सभी खनन इकाईयों को करनी आवश्यक है। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों को जनसुनवाई में प्राप्त ज्ञापन/आक्षेपों पर नियमानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।

अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात कोई भी लिखित आक्षेप/आपत्ति प्राप्त नहीं हुए हैं।


(गिरीश व्यास)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता,
रा.रा.प्र.नि.म., बीकानेर


(राजेश कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत
बीकानेर
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्र

प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स मंगलम माईन्स एण्ड माईनिंग, रेफरेन्स नम्बर 202410000108235, एम.एल. नम्बर 19/2024, क्षेत्रफल 5.9868 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,99,000 टी.पी.ए. (रोम), खसरा नम्बर 36, निकट निकट ग्राम-गंगापुरा तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना (मैसर्स मंगलम माईन्स एण्ड माईनिंग रेफरेन्स नम्बर 202410000108235, एम.एल. नम्बर 19/2024, क्षेत्रफल 5.9868 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,99,000 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स अम्बे माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 20/2023, क्षेत्रफल 4.9878 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,25,950 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स श्री दीपक कुमार सुथार, एम.एल. नम्बर 42/2022, क्षेत्रफल 9.5942 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,45,250 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स बॉलकेम कॉर्पोरेशन, एम.एल. नम्बर 25/2021, क्षेत्रफल 3.9905 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,45,900 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स श्री कस्तुरा राम, एम.एल. नम्बर 39/2018, क्षेत्रफल 3.1891 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,84,971 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स श्री कृष्णा माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 02/2024, क्षेत्रफल 3.9789 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 5,77,475 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स श्री बॉलकेम कॉर्पोरेशन, एम.एल. नम्बर 24/2021, क्षेत्रफल 3.7483 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,60,360 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स अर्थ माईन्स एण्ड मिनरल्स प्रा. लि., एम.एल. नम्बर 21/2022, क्षेत्रफल 3.9896 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,61,400 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स बॉलकेम कॉर्पोरेशन, एम.एल. नम्बर 04/2023, क्षेत्रफल 7.1009 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 5,87,600 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स वासुदेव माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 17/2023, क्षेत्रफल 3.1497 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,90,230 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स शिवरतन मेघवाल, एम.एल. नम्बर 27/2020, क्षेत्रफल 3.8009 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,56,300 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स एसएस माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 27/2024, क्षेत्रफल 4.9805 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,17,794.5 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स वासुदेव माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 18/2023, क्षेत्रफल 9.9765 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 8,21,300 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स श्री हेतराम जाट, एम.एल. नम्बर 77/2019, क्षेत्रफल 3.9889 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,74,400 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स श्री धर्मेन्द्र कुमार, एम.एल. नम्बर 37/2020, क्षेत्रफल 3.9798 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,45,620 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स श्रीमति अलका डागा, एम.एल. नम्बर 33/2020, क्षेत्रफल 3.9788 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,32,724 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स श्री रमेशभाई नाराभाई, एम.एल. नम्बर 31/2020, क्षेत्रफल 3.9807 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,45,620 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स श्रीमति कान्ता देवी, एम.एल. नम्बर 23/2020, क्षेत्रफल 3.9785 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,74,400 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स श्री बजरंग लाल सहारण, एम.एल. नम्बर 80/2019, क्षेत्रफल 3.9885 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,74,400 टी.पी.ए. (रोम)) कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 92.3689 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-78,20,694.5 टी.पी.ए. (रोम) में स्थित है में बॉल क्ले, सिलिका सैंड एवं मुर्रम के खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 28.08.2025 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थान:- ग्राम पंचायत भवन गंगापुरा, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर
दिनांक:-28.08.2025 समय प्रातः 11.00 बजे।

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग/कार्यालय/निवासी	हस्ताक्षर
1.	Rajesh Kumar Nayak	SDO, Kolayat	
2.	Girish Yadav	AEE, RO, RSPCB, Bikaner	
3.	उत्तराम	अप ग्राम पंचायत	
4.	पिता देवी	ग्रामिका	

5.	बहुधा	रवारी	बहुधा
6.	मुआय	रवारी	मुआय
7.	औमप्रकाश	रवारी	औमप्रकाश
8.	ए.मानराम	रवारी	ए.मान
9.	वसिष्ठ	विमला	वसिष्ठ
10.	बुलाकीराम	काहरी	बुलाकीराम
11.	सोनी लाल	गजनेर	सोनी लाल
12.	मदनलाल	मोरावता	मदनलाल
13.	विष्णु सिंह	शिवनगर	शिवनगर
14.	Tender Singh	Khari	Atul
15.	Sunder Singh	Golan	Sunder Singh
16.	Indra Singh	Uolani	Indira
17.	Kuldeep	Kolayat	Kuldeep
18.	Miraj Singh	Kurani (Kolayat)	Miraj Singh
19.	जयनारायण	गुरु कोलायत	जयनारायण
20.	रेवणाम	गुरु कोलायत	रेवणाम
21.	गिरधारी वसिष्ठ	मोरावता	गिरधारी वसिष्ठ
22.	विष्णु सिंह	चंडमना	विष्णु सिंह
23.	रोहित चंड	जयनारायण	रोहित चंड
24.	Magid Khan	SBA Enviro System and Jaipur (Consultant)	Magid Khan
25.			
26.			
27.			



☎ 0151-2250006

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No SPL-33, Phase-2nd, Bhichhwal Industrial Area,
Bikaner – 334001

Email:-ro.bikaner@gmail.com

environment.rajasthan.gov.in

राप्रनिम/क्षे.का./बीका/1565-1566

दिनांक 25.08.2025

उपखण्ड अधिकारी
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,
कोलायत, जिला-बीकानेर

विषय:- प्रस्तावित खनन परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली जनसुनवाई में उपस्थित होने के सम्बन्ध में ।

संदर्भ:- पर्यावरणीय जनसुनवाई आयोजित करने के सम्बन्ध में आप द्वारा जारी पत्र क्रमांक – राजस्व/2025/1302 दिनांक 14.07.2025 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 14.07.2025 के माध्यम से दिनांक 27.08.2025, 28.08.2025 एवं 29.08.2025 को प्रस्तावित खनन परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाईयाँ आयोजित किये जाने हेतु दिनांक एवं समय का निर्धारण किया गया था ।

इसी क्रम में निवेदन है कि अपरिहार्य कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त जनसुनवाईयों में उपस्थित होने में असमर्थ है। अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा श्री गिरीश व्यास, सहायक पर्यावरण अभियन्ता को जनसुनवाईयों में उपस्थित होने बाबत मनोनीत किया जाता है।

सूचनार्थ सादर प्रेषित ।

भवदीय,

(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- श्री गिरीश व्यास, सहायक पर्यावरण अभियन्ता को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक दिनांक 27.08.2025, 28.08.2025 एवं 29.08.2025 को आयोजित की जाने वाली जनसुनवाईयों में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय अधिकारी